

सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के अन्तर्गत पुलिस विभाग जनपद रुद्रप्रयाग के पदाभिहित अधिकारियों प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों, द्वितीया अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, कार्यालय का पता, फोन नम्बरों का विवरण की सूची

क्र०सं०	नाम अधिकारी	विभागीय पद	सेवा का अधिकार के अर्न्तगत धारित पद	मोबाईल/ कार्यालय नम्बर
1	श्री प्रहलाद नारायण मीणा	पुलिस अधीक्षक	द्वितीया अपीलीय अधिकारी	9411112699 01364-233387 फैक्स न०- 01364-233210
2	श्री श्रीधर प्रसाद बडोला	पुलिस उपाधीक्षक रुद्रप्रयाग	प्रथम अपीलीय अधिकारी	9411112978 01364-233387 फैक्स न०- 01364-233210
3	श्री अभय कुमार सिंह	पुलिस उपाधीक्षक गुप्तकाशी	प्रथम अपीलीय अधिकारी	7060476647 01364-287369
4	श्री विमल प्रसाद	निरीक्षक अभिसूचना	पदाभिहित अधिकारी	01364-233049 9411112802
5	श्री बैशाख सिंह पंवार	अग्निशमन अधिकारी	पदाभिहित अधिकारी	9412079231 01364-233101
6	श्री दरवान सिंह पंवार	निरीक्षक कोतवाली रुद्रप्रयाग	पदाभिहित अधिकारी	9411112867 01364-233208
7	श्री नीरज कुमार	थानाध्यक्ष अगस्त्यमुनि	पदाभिहित अधिकारी	9411192896 01364-286231
8	श्री कुंवर सिंह विष्ट	थानाध्यक्ष ऊखीमठ	पदाभिहित अधिकारी	9411112868 01364-284250
9	श्री मनमोहन सिंह	थानाध्यक्ष गुप्तकाशी	पदाभिहित अधिकारी	01364-287369 9411192897
10	सुबोध कुमार मंमगाई	थानाध्यक्ष सोनप्रयाग	पदाभिहित अधिकारी	9759736111

सेवा के अधिकार अधिनियम -2011

कार्यों का विवरण जिन पर निर्णय विभाग द्वारा लिया जाना है -

क्र० सं०	कार्यों का विवरण	पदाभिहित अधिकारी	सेवाए प्रदान करने की निश्चित समय सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1	विदेशियों की भारत में रहने की अवधि बढ़ाया जाना	निरीक्षक एलआईयू	07 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
2	विदेशियों का पंजीकरण	निरीक्षक एलआईयू	तत्काल	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
3	बहरी व्यक्तियों का सत्यापन (अन्य जनपदों से प्राप्त सत्यापन-पत्र जहाँ का वह रहने वाला है)	प्रभारी थानाध्यक्ष	07 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
4	एफ0आई0आर0 की प्रति उपलब्ध कराना (वादी को)	प्रभारी थानाध्यक्ष	तत्काल	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
5	लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने की अनुमति प्रदान करना	प्रभारी थानाध्यक्ष	05 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
6	सेवायोजन संबंधी सत्यापन	प्रभारी थानाध्यक्ष	30 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
7	पार-पत्र सत्यापन	निरीक्षक एलआईयू	21 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
8	सामान्य प्रार्थना-पत्रों / शिकायतों का निस्तारण	प्रभारी थानाध्यक्ष	30 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
9	पुलिस के विरुद्ध शिकायत	क्षेत्राधिकारी	30 दिन	प्रभारी जनपद	पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
कार्यों का विवरण जिन पर विभाग द्वारा जांच कर संस्तुति/आख्या अग्रसारित की जानी है					
10	शस्त्र लाईसेंस का नवीनीकरण की संस्तुति करना/आख्या अग्रसारित करना (अगर लाईसेंस निर्धारित अवधि की समाप्ति से पूर्व और लाईसेंस निर्गत करने वाले जनपद जहाँ से सेवा प्रदान की जाती है।)	प्रभारी थानाध्यक्ष	15 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
11	शस्त्र लाईसेंस में अन्य कोई परिवर्तन करना विषयक संस्तुति/आख्या अग्रसारित करना (अगर उसी जनपद में परिवर्तन किया जाना है।)	प्रभारी थानाध्यक्ष	07 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
12	मेला/प्रदर्शनी एवं अन्य प्रायोजित कार्यक्रम हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने विषयक संस्तुति/आख्या अग्रसारित करना	प्रभारी थानाध्यक्ष	05 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

13	नये शस्त्र लाईसेंस का सत्यापन विषयक संस्तुति/ आख्या उपलब्ध करना।	प्रभारी थानाध्यक्ष	30 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
14	शस्त्र का नवीनीकरण सत्यापन विषयक संस्तुति/आख्या अग्रसारित करना	प्रभारी थानाध्यक्ष	15 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
15	शस्त्र विक्रेताओं का लाईसेंस नवीनीकरण का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने विषयक संस्तुति/आख्या अग्रसारित करना।	प्रभारी थानाध्यक्ष	15 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
16	पेट्रोल पम्प/सिनेमा हॉल को अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने विषयक संस्तुति/आख्या अग्रसारित करना।	प्रभारी थानाध्यक्ष/ अग्निशमन अधिकारी	15 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के अन्तर्गत दिन की गणना कार्यदिवस के रूप में की जायेगी।

सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के अन्तर्गत सेवा की तिथि की गणना पूर्ण रूप से यथा आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्राप्त आवेदन पत्र की प्राप्ति के दिवस से मानी जायेगी।